


13/07/2020
09/11/2020

अंतिम लेखन उपस्थापित किया गया। नोटिस का तामिना अनिवेदन प्राप्त है। संबंधित मंत्री-से रैयत जयने सङ्गती काबजाल के साथ अनुपस्थित है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का पौंच अनिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। अवलोकन किया।

संबंधित राजस्व उप निरीक्षक के पौंच अनिवेदन के अनुसार मोगा परकला अंतर्गत खाला संद 61 रवेसल नं० 1138, 491, 509 रकबा कुमा: 1.90 रू०, 2.90 रू०, 4.20 रू० कुल रकबा 8.50 रू०। भूमि जंगल मही जंगल मही एवं नदी दर्ज है। उक्त भूमि का पंजी 11 में सतम प्राधिकार दर्ज नहीं है। जमावती रयत से सतम करने पर सादा हुकुमावसा एवं पूर्व का तमान रसीद लिंक बाका है। खाला संद 61 प्लॉट सं० 1138, 491 एवं 509 गैरमजकूत खाला के अंतर्गत रवेसलान में किस कुमा: जंगल मही जंगल मही एवं नदी दर्ज है। विभागीय परिपत्र संख्या 911/रा० दिनांक 09.12.1978 एवं पत्रांक 2074/रा० दिनांक 13.05 के अनुसार वाद सं० 262/16-17 का राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा दृष्ट कर रहे हैं अनुपस्थित किया गया है।

अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के पौंच अनिवेदन एवं अनुपस्थित के आधार पर वाद संख्या 262/16-17 का संदिग्ध जमावती का रूप किया जाता है।
लेख्यपत्र


अंचल अधिकारी,
कुरडगा।


अंचल अधिकारी,
कुरडगा।